भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 580

उत्तर देने की तारीख 28.11.2024

जनजातीय समुदायों का शैक्षिक सशक्तिकरण

†580. श्री मुरारी लाल मीना:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनजातीय समुदायों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए कोई नई योजना शुरू की है और यदि हां, तो राजस्थान के दौसा के जनजातीय बच्चों के शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए इन योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जनजातीय छात्रों की शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से उनके लिए विशेष छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने जनजातीय समुदायों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना या कार्यक्रम शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषकर दौसा, राजस्थान में इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) तथा (घ): जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय बच्चों को उनके अपने ही परिवेश में नवोदय विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018-19 में शुरू की गई एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की केंद्रीय क्षेत्र योजना को क्रियान्वित करता है। नई योजना के तहत, सरकार ने 440 ईएमआरएस, 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (जनगणना 2011 के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया है। 288 ईएमआरएस विद्यालयों को शुरू में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के तहत वित्त पोषित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य देश भर में लगभग 3.5 लाख अजजा छात्रों को लाभान्वित करना है। आज तक, 715 स्कूल स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 264 जिलों के लगभग 1,33,929 छात्रों को लाभान्वित करते हुए देश भर में 476 ईएमआरएस के क्रियाशील होने की सूचना है। राजस्थान में 31 स्वीकृत ईएमआरएस हैं, जिनमें से 30 पहले से ही क्रियाशील हैं। हालांकि, राजस्थान के दौसा जिले में कोई भी ईएमआरएस स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्त योजना के अतिरिक्त सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को 79,156 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: 56,333 करोड़ रुपये और राज्य हिस्सा: 22,823 करोड़ रुपये) के कुल परिव्यय के साथ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) योजना भी शुरू की गई। यह अभियान 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सभी जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी ब्लॉकों में फैले 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभान्वित करते हुए लगभग 63,843 गांवों को कवर करेगा। डीएजेजीयूए में शिक्षा क्षेत्र सहित सामाजिक बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण अंतरों की संतृप्ति की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत स्कूल शिक्षा विभाग, भारत सरकार जनजातीय बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच को आसान बनाने हेतु 1000 छात्रावासों का निर्माण करेगा। इसके अतिरिक्त, डीएजेजीयूए के अंतर्गत जनजातीय

कार्य मंत्रालय जनजातीय बच्चों के लिए राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे आश्रम विद्यालयों के बुनियादी ढांचे के उन्नयन हेतु केंद्रीय सहायता के साथ राज्यों को सहयोग करेगा।

उपरोक्त के अलावा, स्कूली शिक्षा के लिए एक व्यापक कार्यक्रम, समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा 2,94,283.04 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें 1,85,398.32 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा (2021-2026) शामिल है जिसका विशेष जोर स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को पाटने पर है।

(ख): जनजातीय कार्य मंत्रालय, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के बीच बुनियादी और उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सहित देश के सभी राज्यों में निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है::-

i) अजजा छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X के लिए):
ii) अजजा छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा XI और उससे ऊपर के लिए):
iii) अजजा छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (पहले शीर्ष श्रेणी छात्रवृत्ति योजना के रूप में जानी जाती थी): प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, कानून आदि जैसे पेशेवर क्षेत्रों में 265 शीर्ष श्रेणी के सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
iv. अजजा छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना: भारत में एम.फिल या पीएचडी करने के लिए मेधावी अजजा छात्रों को छात्रवृत्ति
v) अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति: विदेश में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी अनुसूचित जनजाति (अजजा) छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती है।

(ग): ईएमआरएस योजना की निगरानी, निधियों की आगे की रिलीज (निर्मुक्ति) के लिए पूर्व-आवश्यकता के रूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्त करके, मासिक प्रगति रिपोर्ट, दायर किए गए दौरे और योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों और नोडल एजेंसियों के साथ नियमित समीक्षा बैठक करके की जाती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) द्वारा एक एमआईएस पोर्टल भी विकसित किया गया है, जो सभी ईएमआरएस के डेटाबेस को बनाए रखने और योजना की निगरानी के लिए ईएमआरएस की योजना का प्रबंधन और कार्यान्वयन करता है।

इसके अलावा, छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए, 2018 में डीबीटी मिशन ने छात्रवृत्ति की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के निर्देश के साथ विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रवृत्ति की राशि सीधे छात्र के आधार से जुड़े बैंक खाते में हस्तांतरित की जाए और लाभार्थी की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा वाली योजना-विशिष्ट एमआईएस का विकास किया जाए। सभी 5 छात्रवृत्ति योजनाओं को समर्पित योजना-विशिष्ट पोर्टल के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है।
तदनुसार, छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की संपूर्ण प्रक्रिया में निम्नलिखित विशेषताओं के साथ कागज आधारित प्रारूप से डिजिटल मोड में बदलाव के साथ सुधार किया गया है।
(i) राज्यों द्वारा डेटा साझा करना, डेटा विश्लेषण और प्रदर्शन डैशबोर्ड:
(ii) डिजी-लॉकर के साथ एकीकरण
(iii) अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) पोर्टल के साथ विश्वविद्यालयों का एकीकरण
(iv) शिकायत निवारण और संचार तंत्र

*****